

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या ०३/२०१९ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ की धारा ९१

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री. बूबा पुत्र साकर

पटवारी हल्का राजपार

जाति मुजकाना निवासी देताजी

तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की अ.अ. / अनु. । पत्रावली का हनने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजपार ने धारा ९१ के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देताजी के खसरा नम्बर २५२५ रकबा २५६-०२ बीघा में से ०-०५ बीघा किस्म गैर मुजकाना जो राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा ९१ आर.एल.आर. एक्ट १९५६ के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रार कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट १९५६ धारा ९१ का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का ५० गुणा जुर्माना राशि रुपये ५० अक्षर ५००० रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसुल हो।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक १८/०७/१९ को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड

जुर्माना ५० फसल नि.
कुल योग ५० ज.के पृष्ठ सं. २६
वर्ष २०१९-२० में इन्द्राज किया गया :

तहसील राजस्व लेखाकार